

## अध्याय – 4

### जल संरक्षण, जलाशय रखरखाव एवं उपभोक्ता संरक्षण

#### 4.1 जल संरक्षण :-

जल का संचयन, संवर्द्धन तथा संरक्षण तीनों ही प्रत्येक समाज का नैतिक दायित्व है। जल संरक्षण हेतु वर्षा जल का संचयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे वर्षा से प्राप्त जल को भविष्य में प्रयोग के लिए संचित किया जाता है। एक आकलन के अनुसार हमारे देश में लगभग 4000 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष वर्षाजल प्राप्त होता है और इसका दो-तिहाई व्यर्थ बह जाता है। जल संचयन में केवल सरकारी स्तर पर बाँधों के निर्माण से कार्य नहीं चलेगा। इससे जन सहभागिता तथा व्यक्तिगत प्रयासों की भी आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में वर्ष 1950 के आस-पास प्रति व्यक्ति जल से उपलब्धता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष थी जो गिरकर 2025 में 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष रह जाने की सम्भावना है। जल की उपलब्धता में यह कमी जल संचयन के व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा दूर की जा सकती है। जल संचयन के निम्न लाभ हैं:-

1. भूजल स्तर में गिरावट पर नियंत्रण।
2. सड़कों पर पानी के भराव को कम करने के लिये।
3. जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिये।
4. भूजल प्रदूषण कम करने के लिये
5. भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण सूखे कुँओं, नलकूपों एवं जलाशयों में जलभरण हेतु।
6. भविष्य में उपयोग हेतु जल संचित करने के लिये।
7. भूजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये।

जल संचयन की कई विधियाँ हैं। इनमें से कुछ जो व्यक्तिगत स्तर पर तथा सामाजिक सहयोग से अपनाई जा सकती है उन्हें प्रयोग में लाकर जल संरक्षण में प्रत्येक को अपनी भूमिका निभानी चाहिये। इसके अतिरिक्त उपलब्ध जल का प्रयोग पूर्णतया सावधानी से तथा किसी कीमती वस्तु की तरह सोच-समझकर कर किया जाना चाहिये। इसका अपव्यय तो किसी भी स्थिति में ना हो। हम अपने दैनिक कार्यों में जल उपयोग में भी मितव्ययता लाये तथा आस-पास के लोगों को भी जल के मितव्ययी उपयोग के बारे में प्रेरित करें।

**दैनिक कार्यों में मितव्ययी जल उपयोग के लिये निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये :-**

1. हर दिन एक ऐसा काम करने का प्रयास करें जिससे जल बचाया जा सके।
2. पानी उतना ही प्रयोग करें जितना जरूरत हो, जैसे कि दाढ़ी बनाते या ब्रश करते वक्त नल बंद कर दें।
3. कोशिश करें कि आपके घर के अंदर व बाहर कहीं से पानी का रिसाव नहीं हो रहा हो।
4. सब्जी, दाल, चावल को धोने में प्रयुक्त पानी फेंके नहीं। इसे फर्श साफ करने या पेड़ों को पानी देने के काम में लाया जा सकता है।

5. अपने समुदाय में समूह बनाये जो जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देता हो। अपने इलाके के लिये साधारण वर्षा जल संचयन प्रणाली बनायें। छत के जल का संचय कर व छान कर घरेलू प्रयोग के लिये शुद्ध पानी पाया जा सकता है।
6. अपने शौचालय में लो-फ्लश या ड्यूअल फ्लश जैसे फ्लश उपकरण लगवा कर आप पानी बचा सकते हैं।
7. सभी को अपनी खुद की जिम्मेदारी को समझना चाहिये और पानी पीने और भोजन पकाने के अलावा पानी के अधिक उपयोग से बचना चाहिये।
8. हमें अपने कपड़ों को केवल धाने की मशीन में तब धोना चाहिये जब उसमें अपनी पूरी क्षमता तक कपड़े हो जाएँ।
9. फुहारे से नहाने के बजाय बाल्टी और मग का प्रयोग करें जो प्रति व्यक्ति 150 से 200 लीटर पानी हर महीने बचायेगा।
10. जागरूकता फैलाने के लिये हमें जल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिये।
11. गर्मी के मौसम में कूलर में अधिक पानी बर्बाद न होने दें, केवल जरूरत का ही इस्तेमाल करें।
12. हमें पाइप के द्वारा लॉन, घर या सड़कों पर पानी डालकर नष्ट नहीं करना चाहिये।
13. पौधारोपण को वर्षा ऋतु में लगाने के लिये प्रेरित करें जिससे पौधों को प्राकृतिक रूप से पानी मिले।
14. हमें अपने हाथ, फल, सब्जी आदि को खुले हुए नल के बजाय पानी के बर्तन से धोने की आदत बनानी चाहिये।
15. हमें दोपहर के 11 बजे से 4 बजे तक पौधों को पानी देने से बचना चाहिये क्योंकि उस समय उनका वाष्पीकरण हो जाता है। सुबह या शाम के समय पानी देने से पौधे पानी को अच्छे से सोखते हैं।
17. हमें पारिवारिक सदस्यों, बच्चों, मित्रों, पड़ोसियों और सह-कर्मचारियों को सकारात्मक परिणाम पाने के लिये अपने अंत तक यही प्रक्रिया अपनाने या करने के लिये प्रेरित करना चाहिये।

#### 4.2 जलाशय रखरखाव :-

जल को सदैव जीवन का आधार माना गया है। जल के सम्बंध में यह विचार ही उसकी उपयोगिता को दर्शाता है। चूँकि जल, **विशेषकर उपयोग किया जा सकने वाला जल सीमित है** अतः उससे संवर्द्धन एवं संरक्षण की आवश्यकता इस पृथ्वी पर हमेशा से ही महसूस की जाती रही है। इसी कारण मानव सभ्यता के विकास के प्रत्येक चरण में जल को संरक्षित रखने के लिये अनेकानेक पद्धतियों के विकास के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इनमें जलाशयों का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण पद्धति है। जलाशय प्राकृतिक भी हो सकते हैं तथा मानव निर्मित भी। प्राकृतिक जलाशयों को सुरक्षित रखने तथा कृत्रिम जलाशयों का निर्माण एवं उनका रखरखाव अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। आधुनिक युग में बड़े-बड़े बाँध जिसने पानी के प्रवाह को, जो अन्यथा बहकर समुद्र में मिल जाता है, रोककर एक स्थान पर संचित किया जाता है। आधुनिक तकनीकों से उन बड़े-बड़े बाँधों का निर्माण एवं रखरखाव किया जा रहा है। बड़े-बड़े बाँधों का तकनीकी रखरखाव तो इस अध्याय की विषय वस्तु नहीं है परन्तु हमारे आस-पास के जलाशयों का संरक्षण जनसहभागिता का एक विषय है। इस ओर समाज के सभी वर्गों को प्रेरित कर ध्यान

देने की आवश्यकता है।

जलाशयों का मुख्य उद्देश्य सतही पानी को रोकना रहा है। यह दोहरी भूमिका निभाते हैं। प्रथम तो यह कि वर्ष भर इनमें उपलब्ध पानी खेती के काम में तथा पशुओं के पीने के काम में आता है। तथा दूसरा यह कि एक स्थान पर पानी भरा रहने से यह आस-पास के भूजल स्तर को बढ़ता है जिससे कुँओं, नलकूपों में भी पानी का स्तर बढ़ता है।

परम्परागत समाज ने इस तरफ काफी ध्यान दिया इसीलिये हम यह पाते हैं कि तालाब या जलाशय के सम्बंध में पुरानी तकनीक भी काफी समृद्ध एवं वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित है। इसके लिये आप जिस क्षेत्र में भी रहते हैं यदि उस क्षेत्र में मौजूद जलाशयों को देखेंगे तो पायेंगे कि जल के आने के रास्ते से लेकर अतिरिक्त/अधिक आये हुये पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था परम्परागत जलाशयों में रही है। चूँकि यह जलाशय आस-पास की भूमि को हरा-भरा रखने एवं पशुओं के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अतः समाज को भी इनके समुचित रख-रखाव में अपनी भूमिका निभानी चाहिये। इसके लिये निम्न प्रयास किये जा सकते हैं :-

1. जलाशय के आस-पास का स्थान साफ-सुथरा रखा जाये।
2. पशुओं को चारा, जलाशय के निकट नहीं डाला जाना चाहिये क्योंकि बचा हुआ चारा जलाशय में जाकर गलन पैदा करेगा।
3. खुले में शौच समाप्त करने के लिए चल रहे विभिन्न प्रयासों से जुड़ कर भी जलाशय के रखरखाव में अपनी भूमिका निभाई जा सकती है।
4. जलाशयों के निकट वृक्षारोपण से मिट्टी का कटाव भी रुकेगा तथा तापमान कम रहने से जलाशय के पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा। इसके लिए ऐसे वृक्षों का चयन किया जाना चाहिये जिनमें औषधीय गुण हों। ऐसा करने से वृक्षों के पत्ते जलाशय में गिरने से भी जल दूषित नहीं होगा।
5. कभी ग्रीष्म ऋतु में जलाशय सूख जाये तो जन सहयोग से उसकी अच्छी तरह सफाई की जानी चाहिये, जिससे वर्षा ऋतु में उसमें जल भराव अच्छी तरह हो सके।

इसके अतिरिक्त स्थानीय जलवायु एवं परम्पराओं को ध्यान में रख कर स्थानीय व्यक्तियों के ज्ञान को सम्मिलित करते हुए जलाशयों के रखरखाव की योजना अत्यधिक कारगर सिद्ध हो सकती है।

### 4.3 उपभोक्ता संरक्षण

“ ग्राहक हमारे परिसर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण अतिथि है। वह हम पर निर्भर नहीं है। हम उस पर निर्भर हैं। वह हमारे कार्य में बाधा नहीं है। वह इसका प्रयोजन है। वह हमारे व्यापार के लिए एक बाहरी व्यक्ति नहीं है। वह इसका हिस्सा है। हम उसे सेवा देकर उसे कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। वह हमें ऐसा करने का अवसर देकर हमें लाभ दे रहा है।”

— महात्मा गाँधी




### 4.3.1 उपभोक्ता के अधिकार

1. सुरक्षा का अधिकार – उन उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार जो जीवन तथा सम्पत्ति को हानि पहुँचा सकते हैं।
2. सूचना पाने का अधिकार – उपभोक्ता, मूल्य चुकाकर उत्पाद एवं सेवाएँ लेता है। उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानने का अधिकार।
3. प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का अधिकार – जहाँ भी संभव हो, वहाँ प्रतियोगात्मक मूल्यों पर विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं तक पहुँच के प्रति आश्वासन का अधिकार।
4. शोषण के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार – अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियों या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता की सुनवाई का अधिकार।
5. सुनवाई और आश्वासन का अधिकार – उचित मंचों पर उपभोक्ता के हितों को उपयुक्त विनियोग प्राप्त होना।
6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
7. चयन का अधिकार – प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को उनकी विभिन्न किस्मों में से चयन का अधिकार है।

सरकार, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो सरकारी नियंत्रण करती है, वह उपभोक्ता संरक्षण है। आज का युग उपभोग का युग है। हम अपने जीवन में नित्य प्रति कुछ न कुछ खरीदते हैं। यह खरीद हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होती है। जो सेवा या वस्तु हम मूल्य चुकाकर क्रय करते हैं, वह वस्तु या सेवा हमारे संतुष्टि स्तर पर खरी उतरनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानने का अधिकार, उपभोक्ता का है।

उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत, उपभोक्ता के अधिकार, शिकायत-प्रकार, दर्ज कराना (कहाँ और कैसे) करे निम्न चित्र से समझा जा सकता है।



### 4.3.2 शिकायतों का प्रकार

उपभोक्ता की शिकायतों का आधार निम्न प्रकार की हो सकती है—

1. व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक प्रकार के प्रयोग करने से यदि उपभोक्ता को हानि/क्षति हुई हो।

2. खरीदे गये सामान में कोई खराबी होना ।
3. किराये पर ली गई/उपयोग में की गई सेवाओं में कमी पाना ।
4. विक्रेता द्वारा, प्रदर्शित मूल्य या लागू कानून से अधिक मूल्य लेना ।
5. ऐसा सामान बेचना जिसके उपयोग से किसी कानून का उल्लंघन होता है और जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम करने वाला हो ।
6. क्रय किये गये अथवा क्रय के लिए समहत माल में त्रुटियाँ आना ।

#### 4.3.3 शिकायतकर्ता

1. स्वयं उपभोक्ता
2. स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन (समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 या कंपनी अधिनियम 1951 या वर्तमान के किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत हो)

#### 4.3.4 शिकायत मंच

1. यदि सामान, सेवाओं की लागत या मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 20.00 लाख से कम है तो **जिला फोरम** में शिकायत कर सकते हैं
2. यदि सामान, सेवाओं की लागत या मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 20.00 लाख से अधिक परन्तु रूपये 1.00 करोड़ से कम हो तो **राज्य आयोग** के समक्ष शिकायत की जा सकती है ।
3. यदि सामान, सेवाओं की लागत या मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 1.00 करोड़ से अधिक है तो **राष्ट्रीय आयोग** के समक्ष शिकायत की जा सकती है ।

#### 4.3.5 शिकायत करने का तरीका

उपभोक्ता द्वारा या शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है । शिकायत में शिकायतकर्ताओं तथा विक्रेता/सेवा प्रदाता के नाम का विवरण, पता, शिकायत से सम्बंधित तत्थात्मक जानकारी, आरोपों के संदर्भ में दस्तावेज ।

#### 4.3.6 क्षतिपूर्ति

1. उपभोक्ता को प्रदत्त वस्तु से खराबी हटाना ।
2. उपभोक्ता को प्रदत्त वस्तु बदलना ।
3. उपभोक्ता को प्रदत्त वस्तु के विरुद्ध चुकाये गये मूल्य को वापस देना ।
4. दोषपूर्ण वस्तु/सेवा के प्रयोग से हुई हानि या चोट के लिए क्षतिपूर्ति ।

#### 4.4 उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून

उपभोक्ता अधिकार से सम्बंधित अधिनियम/कानूनों में से प्रमुख निम्न हैं—

1. एम.आर.टी.पी. एक्ट 1969 (मोनोपॉलिज एण्ड रेस्ट्रेक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज अधिनियम)
2. चिटफण्ड अधिनियम 1982
3. खाद्य पदार्थ मिलावट रोधी अधिनियम 1954
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
5. संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002

#### 4.5 उपभोक्ता दिवस

15 मार्च : अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (अमेरिकी कांग्रेस द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक के अनुमोदन की तिथि)

#### 4.6 मानकों का उन्नयन

उपभोक्ता को अपने अधिकारों का उपयोग करने में सहायता देने के लिए गुणवत्ता और मानकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके निम्न उदाहरण हैं—

1. फल उत्पाद आदेश (एफ पी ओ)



2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)



3. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)



3. स्वर्णभूषणों की हाल मार्किंग



#### अभ्यास प्रश्न—

#### वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- हमारे देश में वर्ष भर में अनुमानित कितना वर्षा जल प्राप्त होता है—  
(अ) 2000 घन किलोमीटर (ब) 500 घन किलोमीटर  
(स) 4000 घन किलोमीटर (द) 3000 घन किलोमीटर
- जल का उपयोग किस प्रकार होना चाहिये—  
(अ) अपव्ययी (ब) मितव्ययी  
(स) इच्छानुसार (द) उपरोक्त में से कुछ नहीं।
- जलाशय किस प्रकार से लाभदायी है—  
(अ) पशुओं के पेयजल हेतु (ब) कृषि के लिये जल हेतु  
(स) भूजल स्तर बढ़ाने में (द) उपरोक्त सभी

4. संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था  
(अ) 1982 (ब) 2002 (स) 2010 (द) 2014
5. उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है—  
(अ) 10 मार्च (ब) 15 जनवरी (स) 15 मार्च (द) 30 दिसम्बर

### लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. जल संचयन क्या है?
2. जल संरक्षण का क्या अभिप्राय है?
3. जल संरक्षण के कोई दो घरेलू उपाय बताइये?
4. जलाशय किसे कहते हैं?
5. उपभोक्ता द्वारा किन परिस्थितियों में शिकायत की जा सकती है?
6. उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति किस में प्राप्त हो सकती है?

### निबंधात्मक प्रश्न

1. जल संरक्षण पर एक लेख लिखिये।
2. जलाशयों के रख-रखाव के सामान्य प्रयास कौनसे हैं?
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत करने का क्या तरीका है?
4. उपभोक्ता के अधिकारों पर एक लेख लिखिये।

### उत्तरमाला (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) :

1. (स) 2. (ब) 3. (द) 4. (ब) 5. (स)